27.5.2022

अपीलांट ने अधिवक्ता का पत्र पेश किया। उसे का पत्र पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अपीलांट ने उसके पत्र में निवेदन किया कि वह मरीज में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अपीलांट की मंगूठा निशानी आदेशिका पर लगवाई गई जिसकी पहचान उसके अधिवक्ता ने की। लिहाजा अब अपीलांट को इस मरीज में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है तो मरीज अपीलांट अपनी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर के रूप होकर अभिलेखागार में भेजी जावे।

27/5/22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:37:24 IST
Reason: SelfAttested